न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 08/2017 (जीसीएमएस संख्या : 2017/00514)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. गोपी पुत्र श्री कल्ला, जाति–मीणा, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. फैलीराम पुत्र श्री कल्याण, जाति–मीणा, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 3/1 रामफूल पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–मीना, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–138ए, पार्श्वनाथ नगर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के पास, सांगानेर, जयपुर।
   - 3/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–मीना, निवासी–ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
   - 3/3 भागीरथ पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–मीना, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–200, पार्श्वनाथ नगर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के पास, सांगानेर, जयपुर।
   - 3/4 कानाराम पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–मीना, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
   - 3/5 नारायण पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–मीना, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
   - 3/6 छोटू पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, जाति–मीना, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–200, पार्श्वनाथ नगर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के पास सांगानेर, जयपुर।
   - 3/7 बिला देवी पुत्री स्व0 श्री रामसहाय पत्नी श्री प्रहलाद, जाति–मीना, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
4. रामसुखा पुत्र श्री रूपा, जाति–मीणा, निवासी– ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री आर.के. सारस्वत, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 3/1 लगायत 3/6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 30.03.2021

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2005–2014 में ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी की आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 13 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा परिवर्तित होकर

गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 में खाता संख्या–46 गोपी पुत्र श्री कल्ला गैर–खातेदार आराजी खसरा नम्बर–65/336 रकबा 0.01 है0 व खाता संख्या–1 फैलीराम पुत्र श्री कल्याण खसरा नम्बर–65/337 रकबा 0.01 है0, रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ खसरा नम्बर–200/345 रकबा 0.01 है0 व रामसुखा पुत्र श्री रूपा खसरा नम्बर–65/346 रकबा 0.01 है0 की गैर–खातेदारी में दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2005–2014 में दर्ज गैर–मुमकिन तालाब आराजी की निजी गैर–खातेदारी नहीं दी जा सकती। अतः खारिज फरमाई जावे। तहसीलदार, चाकसू के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.10.2007 को स्वीकार करते हुए प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाने के आदेश दिये गये इसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 15.03.2017 द्वारा आंशिक स्वीकार कर निर्देश दिये गये कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर, सुनवाई की जाकर उचित पाये जाने पर पुनः राजस्व मण्डल को नियमानुसार रेफरेन्स प्रेषित किया जावे। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 15.03.2017 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 03 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई करने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रामसहाय के कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाकर नियमानुसार सुनवाई की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2005–2014 में ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी की आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 13 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है इसमें से 0.01 हे0 आराजी रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–मीणा को गैर–मुमकिन चाह आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 23 आवंटी रामसहाय के नाम गैर–खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2005–2014 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब नियमों के विपरीत आवंटित की जाकर गैर–

खातेदारी दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी रामसहाय के नाम गैर–खातेदारी दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2005–2014 में सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है। एकीकरण में भी गैर–मुमकीन तालाब दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब भूमि की निजी गैर–खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को पुनः प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3/1 लगायत 3/7 के विद्वान अभिभाषक श्री आर.के. सारस्वत का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तहसीलदार चाकसू ने माननीय न्यायालय के समक्ष बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स में जिन खसरा नम्बरान् का हवाला दिया है, वह अप्रार्थीगण के पूर्व हकधारियों की जागीर की भूमि रिज्यूम होने पर उक्त भूमि उनकी निजी सम्पत्ति घोषित की गई थी उक्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति है। माननीय कलक्टर जागीर, जयपुर ने उक्त भूमि को दिनांक 15.10.1962 को निजी सम्पत्ति घोषित किया था जिसे आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। यह भूमि सन् 1947 व उससे पूर्व से जागीर की भूमि रही है। उक्त भूमि जागीरदार की खुदकाश्त की भूमि थी जिसे बाद में उसे निजी सम्पत्ति घोषित कर दिया गया जिसका कोई रेफरेन्स नहीं हो सकता। रेफरेन्स कानून के अनुसार एक निश्चित समय सीमा में ही प्रस्तुत हो सकता है। तहसीलदार, चाकसू ने अप्रार्थीगण के जिस खसरा को गैर–मुमकिन तालाब दर्ज होना बताया है वह खसरा राजस्व रिकार्ड में गैर–मुमकिन तालाब दर्ज न होकर गैर–मुमकिन चाह अप्रार्थीगण के पिता राम सहाय पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम दर्ज है इसलिये अप्रार्थीगण के खसरे के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स हर्जे–खर्चे सहित खारिज करने की कृपा करें।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2005–2014 में ग्राम रूपनिवास उर्फ थूणी की आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 13 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है इसमें से 0.01 हे0 आराजी रामसहाय पुत्र जगन्नाथ, जाति–मीणा को कुए हेतु आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 23 खसरा नम्बर–200/345 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह आवंटी रामसहाय के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में अप्रार्थी रामसहाय के नाम गैर–खातेदारी दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2005–2014 में दर्ज सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब व एकीकरण सम्वत् 2022 में दर्ज गैर–मुमकिन तालाब को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तालाब दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2005–2014 से होती है और इस आराजी में से 0.01 हे0 का कुए हेतु आवंटन रामसहाय पुत्र जगन्नाथ, जाति–मीणा को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 ग्राम–रूपनिवास उर्फ थूणी से होती है जिसमें वादग्रस्त आराजी को नदियां तथा नाला अंकित किया गया है। गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–23 स्वीकार किया गया है, जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 पर अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में वादग्रस्त आराजी नदियां तथा नाला होना अंकित है जिसकी किस्म गैर–मुमकिन पाल दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब/नदियां तथा नाला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब भूमि का कुए हेतु आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती

हैं। नियमानुसार सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे जाहिर होता हो कि वादग्रस्त आराजी जागीर की खुदकाश्त भूमि हो। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त खसरा नम्बर 15 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 13 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तालाब दर्ज है इसमें से 0.01 हैं0 कुए हेतु आवंटित आराजी हाल खसरा नम्बर 200/345 रामसहाय पुत्र जगन्नाथ, जाति–मीणा को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तालाब दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 15.03.2017 द्वारा पूर्व में प्रेषित रेफरेन्स को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में पुनः नामान्तरकरण संख्या–11, 15 व 27 को निरस्त करने की इस्तदुआ नहीं की गई है। पक्षकारान को दिनांक 11.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर